

राजस्थान सरकार  
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 31.07.2015

1. समस्त उपखण्ड अधिकारी
2. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति
3. समस्त तहसीलदार

विषय:- ऑनलाईन भामाशाह नामांकनों के सत्यापन हेतु।

महोदय,

जैसा कि विदित है कि भामाशाह नामांकन की ऑनलाईन सुविधा भी उपलब्ध है, जिसका उपयोग करते हुए आम नागरिकों द्वारा भामाशाह पोर्टल पर परिवार का भामाशाह नामांकन ऑनलाईन भी किया जा रहा है। ऐसे नामांकनों के सत्यापन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी :-

1. परिवार के सभी सदस्यों के ऑनलाईन नामांकन उपरान्त आवेदक भामाशाह आवेदन में उल्लेखित सूचनाओं की पुष्टि हेतु नामांकन की प्राप्ति रसीद व अन्य संलग्न दस्तावेजों पर स्वयं के हस्ताक्षर व स्व-सत्यापन कर, सभी दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेगा।
2. ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रभारी अधिकारियों (आयुक्त, नगरीय क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र में उपखण्ड/विकास अधिकारी) द्वारा आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं की एडीटिंग व वेरिफिकेशन कार्य अपलोड दस्तावेजों से पुष्टि कर किया जाएगा।

भवदीय



(अखिल अरोरा)  
शासन सचिव

क्रमांक: एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/

दिनांक: 31.07.2015

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:

1. समस्त जिला कलक्टर.....
2. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.....
3. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला.....



(ओम प्रकाश बैरवा)  
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव  
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग